राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिए आवेदन प्रारूप

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम :
2. पिता का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. अर्हताएं :
5. मूल विभाग का नाम :
6. सेवानिवृत्ति के पूर्व धारित पद :
7. अनुभव :
8. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन + ग्रेड पे) (एलपीसी संलग्न है) :
9. मूल पेंशन राशि (पीपीओ संलग्न) :
10. धारित पद का वेतनमान (सेवानिवृत्ति के समय) :
11. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार) :

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिए वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को लगाने के लिए राज्य सरकार के परिपत्र सं.....दिनांक..... .....में दिये गये सहमत निर्बंधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बंधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

जयपुर:

दिनांक:

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी
के हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष का प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु सं. 1 से 10 तक तथ्य सत्य पाये गये हैं और श्री/श्रीमती..... पुत्र/पत्नी.....जो सेवानिवृत्ति से पूर्व..... पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के संबंध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती.....की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबंध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय, श्री/श्रीमती..... .....रु. मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन + ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती ..... अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती..... .....के विरूद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लंबित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरूद्ध ली जा रही हैं, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर नय सील